[रिपोर्टयोग्य]

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में

नागरिक अपीलीय न्यायपालिका

2022 का नागरिक आवेदन नंबर.9205

(2022 का @एसएलपी (सी) नंबर.23446)

(2021 की @डायरी नंबर.29159)

हरियाणा राज्य और अन्य **अपीलकर्तागण**

बनाम

सुशीला और अन्य **प्रतिवादीगण**

निर्णय

M.R.SHAH. J.

1. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा सी.डब्ल्यू.पी नंबर 15720 ऑफ 2014 में चंडीगढ़ में पारित किए गए विवादित फैसले और आदेश दिनांक 05.12.2017 से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने उक्त रिट याचिका को स्वीकार कर लिया है और घोषणा की है कि विचाराधीन भूमि के संबंध में अधिग्रहण को भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 (इसके बाद 'अधिनियम 2013' के रूप में संदर्भित) में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 24 (2) के तहत व्यपगत माना जाता है, हरियाणा राज्य ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

2. शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि उच्च न्यायालय के समक्ष मूल रिट प्रतिवादीगण की ओर से यह मामला था कि विचाराधीन भूमि के संबंध में मुआवजे का भुगतान उन्हें नहीं किया गया है और यहां तक कि विचाराधीन भूमि का कब्जा भी उनके पास है और इसलिए, अधिनियम, 2013 की धारा 24 (2) को देखते हुए, विचाराधीन भूमि के संबंध में अधिग्रहण को समाप्त माना जाता है क्योंकि न तो कब्जा लिया गया है और न ही अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजे का भुगतान किया गया है।

2. 1 उच्च न्यायालय के समक्ष भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा एक लिखित बयान दायर किया गया था।यह विशेष रूप से विवादित था कि अधिग्रहित भूमि का कब्जा नहीं लिया गया था।अपीलकर्ताओं की ओर से यह भी विशिष्ट मामला था कि मूल रिट याचिकाकर्ता धारा 4 दिनांक 26.08.2003 के तहत अधिसूचना के बाद बाद के खरीदार होने के नाते उन्हें किसी भी मुआवजे का भुगतान करने का कोई सवाल ही नहीं था।यह प्रस्तुत किया गया था कि याचिकाकर्ताओं को बाद के खरीदार होने के नाते अधिग्रहण की कार्यवाही को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं था, विशेष रूप से अधिग्रहण की कार्यवाही के समाप्त होने के लिए प्रार्थना करने का।लिखित कथन का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः

> "1. कि याचिकाकर्ताओं को इस माननीय अदालत के समक्ष वर्तमान याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता अधिसूचना धारा-4 दिनांक 26.08.2003 और धारा-6 दिनांक 10.08.2004 के समय अधिग्रहित भूमि के मालिक नहीं थे।ग्राम नाथुपुर की ग्राम पंचायत खसरा नं.155 (1-7-0), 156/1 (0-3-8), 156/3 (1-18-17) वाली भूमि की मालिक थी। याचिकाकर्ता राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार विवादित भूमि में किरायेदार थे।माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नियमित दूसरी अपील सं.1578 ऑफ 1990 और सिविल विविध सं.3568 सी ऑफ 2006 में पारित आदेश दिनांक 24.05.2006 के अनुसार याचिकाकर्ता विवादित भूमि के मालिक बन जाते हैं।इसके तुरंत बाद याचिकाकर्ता संख्या 1,4,5,6,7,8,9,10,11 और 18 ने विवाद में अपनी जमीन दूसरे व्यक्ति यानी पारस राम के बेटे धर्मपाल को विक्रय विलेख 8637 दिनांकित 4.7.2006 के द्वारा बेच दी और इंतकाल नंबर 2218 दिनांकित 09.08.2006 को भी क्रेता के पक्ष में स्वीकृत किया गया था। याचिकाकर्ताओं द्वारा भूमि की बिक्री अवार्ड संख्या 8 दिनांकित 04.08.2006 की घोषणा से काफी पहले की गई थी। इसलिए याचिकाकर्ता मुआवजे के वितरण के बाद अधिग्रहण कार्यवाही के खिलाफ वर्तमान याचिका दायर करने के हकदार नहीं हैं और वर्तमान याचिका इस आधार पर लागत के साथ खारिज होने के लिए उत्तरदायी है।
>
> XXX XXX XXX

3. कि पुरस्कृत भूमि की कुल क्षतिपूर्ति राशि रू 76,32,858/- है।अधिग्रहित भूमि का मुआवजा याचिकाकर्ताओं को नहीं दिया गया क्योंकि अवार्ड पास होने वाले तारीख को याचिकाकर्तागण नं 1,4,5,6,7,8,9,10,11 और 18 अधिग्रहित भूमि के मालिक नहीं थे और अन्य भूमि मालिकों ने अधिग्रहित भूमि की क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के लिए अपनी सहमति नहीं दी और अपने स्वामित्व को साबित करने के लिए कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं दिया और इस तरह से वितरित राशि, एल.ए.सी के खाते में जमा है, और पुरस्कार पारित करने की तारीख को वास्तविक भूमि मालिकों की मांग पर तुरंत भुगतान के लिए उपलब्ध है।

XXX XXX XXX

10. कि रिट याचिका के पैरा नं.10 की सामग्री इस हद तक स्वीकार किया जाता है कि विवादित भूमि के अवार्ड की घोषणा 04.08.2006 को की गई थी।यह विशेष रूप से अस्वीकार किया जाता है कि याचिकाकर्ता अधिग्रहित भूमि के भौतिक कब्जे में हैं।यह प्रस्तुत किया जाता है कि अधिग्रहित भूमि का कब्जा हुडा के प्रतिनिधि को उसी दिन रपट नंबर 702 तिथि 04.08.2006 के द्वारा सौंप दिया गया है। याचिकाकर्ता अधिग्रहित भूमि में अतिक्रमणकारी हैं।इस पैरा की शेष सामग्री रिकॉर्ड की बात है।

XXX XXX XXX

14. कि रिट याचिका के पैरा नं.14 की सामग्री गलत और अस्वीकृत हैं।यह विशेष रूप से अस्वीकार किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं के अधिग्रहण की कार्यवाही भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 24 (2) के प्रावधान के अनुसार समाप्त हो गई है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अधिग्रहित भूमि का भौतिक कब्जा हुडा के प्रतिनिधि को उसी दिन रपट संख्या 702 दिनांकित 04.08.2006 के द्वारा सौंप दिया गया है। याचिकाकर्ता अधिग्रहित भूमि में अतिक्रमणकारी हैं और अधिग्रहित भूमि का मुआवजा याचिकाकर्ताओं को नहीं दिया गया क्योंकि वे अधिग्रहित भूमि के मालिक नहीं हैं और वे इसके हकदार नहीं हैं।इस पैरा की शेष सामग्री रिकॉर्ड की बात है।

XXX XXX XXX

17. कि रिट याचिका के पैरा नं.17 की सामग्री गलत और अस्वीकृत हैं।यह प्रस्तुत किया जाता है कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 24 (2) के प्रावधान के अनुसार याचिकाकर्ताओं के अधिग्रहण की कार्यवाही को समाप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अधिग्रहित भूमि का भौतिक कब्जा हुडा के प्रतिनिधि को उसी दिन रपट नंबर 702 दिनांकित 04.08.2006 के द्वारा सौंप दिया गया है। याचिकाकर्ता अधिग्रहित भूमि में अतिक्रमणकारी हैं और अधिग्रहित भूमि का मुआवजा याचिकाकर्ताओं को नहीं दिया गया क्योंकि वे अधिग्रहित भूमि के मालिक

नहीं हैं। अधिग्रहण की कार्यवाही एल.ए अधिनियम के अनिवार्य प्रावधानों के अनुसार जिला, नगर योजनाकार, गुड़गांव द्वारा दिए गए सीमांकन के अनुसार की गई है। यह अधिग्रहण कानून के अनुसार बड़े पैमाने पर जनता के हित में है और रिट याचिका के इस पैरा में याचिकाकर्ताओं द्वारा उल्लिखित किसी भी आधार पर रद्द करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।
कि रिट याचिका में कोई कानूनी बिंदु शामिल नहीं है जिसके लिए इस माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय की आवश्यकता है।उप पैरा (i) से (iv) में उठाई गई दलीलें गलत हैं और इसलिए उनका अस्वीकृत किया जाता है।अधिग्रहण की कार्यवाही कानून के अनुसार की गई थी।"

3. उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि अपीलकर्ताओं की ओर से यह विशिष्ट मामला था कि विचाराधीन भूमि का कब्जा ले लिया गया था और 04.08.2006 को लाभार्थी को सौंप दिया गया था।अपीलकर्ता की ओर से यह भी मामला था कि याचिकाकर्ता अधिग्रहित भूमि में अतिक्रमणकारी हैं और अधिग्रहित भूमि का मुआवजा उन्हें नहीं दिया गया था क्योंकि वे अवार्ड के समय सह-मालिक नहीं थे। उच्च न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय और आदेश पारित करते समय उपरोक्त पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया है।चूँकि अधिग्रहण निकाय द्वारा कब्जा ले लिया गया था और लाभार्थी को सौंप दिया गया था, उसके बाद याचिकाकर्ताओं द्वारा किसी भी कब्जे को अतिक्रमण कहा जा सकता है और अतिक्रमणकारियों को अधिनियम, 2013 की धारा 24 (2) के प्रावधानों का लाभ लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और प्रार्थना की जा सकती है कि अब वे कब्जे में हैं, अतिक्रमणकारियों के रूप में हो सकते हैं, वे अधिनियम, 2013 की धारा 24 (2) के तहत राहत के हकदार हैं। यह अवैधता और अतिक्रमणकारियों को एक प्रीमियम देगा जो विधायिका का इरादा नहीं हो सकता है।

4. अन्यथा, जैसा कि इस न्यायालय ने दिल्ली प्रशासन के मामले में सचिव, भूमि और भवन बनाम पवन कुमार और अन्य, 2022 की सिविल अपील संख्या 3646 ऑफ 2022 और दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम गॉडफ्रे फिलिप्स **(**आई**)** लिमिटेड और अन्य**,** सिविल अपील संख्या **3073** ऑफ **2022** के माध्यम से देखा और अभिनिर्धारित किया, बाद के खरीदारों को अधिग्रहण और/या अधिग्रहण की समाप्ति को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है।

4.1 उपरोक्त दो निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को लागू करते हुए, इसमें निजी प्रतिवादीगण के कहने पर रिट याचिका-मूल रिट याचिकाकर्ता जो बाद के खरीदार हैं, पर उच्च न्यायालय द्वारा अधिग्रहण कार्यवाही को चुनौती देने और/या अधिनियम, 2013 की धारा 24 (2) के तहत अधिग्रहण के समाप्त होने के लिए प्रार्थना करने पर विचार नहीं किया जाना चाहिए था।इन परिस्थितियों में भी उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश टिकाऊ नहीं है।

5. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और ऊपर बताए गए कारण के लिए वर्तमान अपील सफल होती है। 2014 के सी.डब्ल्यू.पी संख्या. 15720 में पारित उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है और दरकिनार कर दिया जाता है। निजी प्रतिवादीगण-मूल रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर मूल रिट याचिका तदनुसार खारिज कर दी जाती है।

तदनुसार वर्तमान अपील की अनुमति है।कोई लागत नहीं।

लंबित आवेदन, यदि कोई हों, तो उनका भी निपटारा कर दिया जाता है।

.... J

[M.R.SHAH]

.... J

[S.RAVINDRA BHAT]

नई दिल्ली;

13 जनवरी, 2023

अस्वीकरणः

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है ।सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्धेश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।